रजिस्ट्री सं. डीएल—33001/2003 REGISTERED No. DL—33001/2003

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं॰ 8] नई दिल्ली, शनिवार, फरवरी 22, 2003 (फाल्गुन 3, 1924)
No. 8] NEW DELHI, SATURDAY, FEBRUARY 22, 2003 (PHALGUNA 3, 1924)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4
[PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]

[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

राष्ट्रीय आवास बैंक

(भारतीय रिजर्व बैंक के सम्पूर्ण स्वामित्व में)

नई दिल्ली- 110 003.

आवास वित्त कंपनी (रा. आ. बैंक) निर्देश, 2001

अधिसूचना सं. एनएचबी.एचएफसी.डीआईआर.4/अ. एवं प्रबं. निदे. /2003 दिनांक 31 जनवरी 2003

राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 (1987 का 53) की धाराओं 30क एवं 31 द्वारा प्रदत्त शक्तियों और इस निमित्त सभी सार्म्थ्यकारी शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस बात से आश्वस्त होते हुए कि ऐसा करना लोक हित में आवश्यक है, राष्ट्रीय आवास बैंक एतद्द्वारा यह निर्देश देता है कि आवास वित्त कंपनी (रा. आ. बैंक) निर्देश, 2001 के वर्तमान अनुच्छेद 3, के उप अनुच्छेद (3) को तत्काल प्रभाव से निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात्:-

" (3) किसी भी आवास वित्त कंपनी के निक्षेप, सार्वजनिक निक्षेपों के साथ जिसकी कुल राशि तथा उसके पास रखी गई कोई अन्य राशि जिसका उल्लेख भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 45 आई की उपधारा (खख) की धारा (iii) से (vii) में किया गया है, यदि कोई हो, तथा राष्ट्रीय आवास बैंक से ऋण या अन्य सहायता को मिलाकर, उसकी निवल स्वाधिकृत निधि के सोलह गुणा से अधिक नहीं होंगे। "

वी. श्रीधर

(वी. श्रीधर)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

NATIONAL HOUSING BANK

(Wholly owned by the Reserve Bank of India)
New Delhi

THE HOUSING FINANCE COMPANIES (NHB) DIRECTIONS, 2001

Direction No. NHB.HFC.DIR.4/CMD/2003 dated 31st January 2003

In exercise of the powers conferred by Sections 30A and 31 of the National Housing Bank Act, 1987 (53 of 1987) and all the powers enabling it in this behalf, the National Housing Bank being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby directs that the existing sub-paragraph (3) of Paragraph 3 of the Housing Finance Companies (NHB) Directions, 2001 shall, with immediate effect be substituted by the following, namely:-

"(3) No housing finance company shall have deposits inclusive of public deposits, the aggregate amount of which together with the amounts, if any, held by it which are referred in clauses (iii) to (vii) of sub-section (bb) of Section 45 I of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934) as also loans or other assistance from the National Housing Bank, is in excess of sixteen times of its NOF."

(V. Sridar)
Chairman and Managing Director